

अनुदान संख्या 78 - ग्रामीण विकास विभाग
GRANT No. 78-DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)				
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original 43347,86,00	44628,53,00	44621,72,37	-6,80,63
पूरक	Supplementary 1280,67,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			3,87,61
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-			
पूरक	Supplementary	20,00,00	20,00,00	. .
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचते/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"			
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services			
मू.	O.	1241.00	1301.00	1276.83
पू.	S.	64.00		
पु.	R.	-4.00		
मुख्य शीर्ष "2216"	Major Head "2216"			
आवास	Housing			
मू.	O.	363600.00	388553.00	388546.27
पु.	R.	24953.00		

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2501" ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	Major Head "2501" Special Programmes for Rural Development			
मू.	O. 162000.00	167706.50	167701.02	-5.48
पु.	R. 5706.50			
मुख्य शीर्ष "2505" ग्रामीण रोजगार	Major Head "2505" Rural Employment			
मू.	O. 2532000.00	2833668.00	2833663.62	-4.38
पू.	S. 118000.00			
पु.	R. 183668.00			
मुख्य शीर्ष "2515" अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	Major Head "2515" Other Rural Development Programmes			
मू.	O. 33445.00	38734.89	38483.44	-251.45
पू.	S. 1.00			
पु.	R. 5288.89			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रा	Major Head "2552" North Eastern Areas			
मू.	O. 249000.00
पू.	S. 10000.00			
पु.	R. -259000.00			
मुख्य शीर्ष "3054" सड़क तथा सेतु	Major Head "3054" Roads and Bridges			
मू.	O. 993500.00	1032502.00	1032501.19	-0.81
पू.	S. 2.00			
पु.	R. 39000.00			

(I) 260200.00 लाख रु. का प्रावधान पंद्रह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, जिसमें से 259900.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2505" - "ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम - केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद" - 200.00 लाख रु. पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने की वजह से परिषद से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2515" - "अन्य व्यय - ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख-सुविधाओं के लिए प्रावधान" - 900.00 लाख रु. स्कीम का पुनर्गठन किए जाने के कारण थे।

(गा) मुख्य शीर्ष "2552" -

(क) "ग्रामीण आवास - अन्य व्यय - इंदिरा आवास योजना" - 40400.00 लाख रु.;

(ख) "स्वरोजगार कार्यक्रम - स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना - जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/अन्य अभिकरणों को सहायता - 18000.00 लाख रु.;

(ग) "अन्य कार्यक्रम - संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना" -

(i) "जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/अन्य अभिकरणों को सहायता" - 26000.00 लाख रु.;

(ii) "खाद्यान्न संघटक" - 12000.00 लाख रु. (मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 10000.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित); और

(घ) "ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार - जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/जिला कार्यक्रम समन्वयकों और अन्यो को सहायता" - 120000.00 लाख रु.।

(I) Provision of Rs.260200.00 lakhs remained wholly unutilised under fifteen heads; of these Rs.259900.00 lakhs accounted for under the following major heads: -

(A) Major Head "2505" - "Rural Employment Guarantee Scheme - National Rural Employment Guarantee Scheme - Central Employment Guarantee Council" - Rs.200.00 lakhs - due to non-receipt of proposal from the council owing to availability of unspent balance of the previous year.

(B) Major Head "2515" - "Other Expenditure - Provision for Urban Amenities in Rural Areas (PURA)" - Rs 900.00 lakhs - due to restructuring of the scheme.

(C) Major Head "2552" -

(a) "Rural Housing - Other Expenditure - Indira Awaas Yojana" - Rs.40400.00 lakhs;

(b) "Self Employment Programme - Swarn Jayanti Gram Swarozgar Yojana - Assistance to District Rural Development Agencies/Other Agencies" - Rs.18000.00 lakhs;

(c) "Other Programmes - Sampurna Gramin Rozgar Yojana" -

(i) "Assistance to District Rural Development Agencies/Other Agencies" - Rs.26000.00 lakhs;

(ii) "Food Grain Component" - Rs.12000.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.10000.00 lakhs obtained in March, 2008); and

(d) "Rural Employment Guarantee Scheme - National Rural Employment - Assistance to District Rural Development Agencies/ District Programme Coordinators and Others" - Rs.120000.00 lakhs.

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ड) “अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम - अन्य व्यय” -

(i) “जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन” - 2120.00 लाख रु. स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने की वजह से निधियां अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(ii) “लोक कार्रवाई और ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नयन परिषद को अनुदान” - 600.00 लाख रु.;

(iii) “ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता और जिला आयोजना प्रक्रिया का सुदृढीकरण” - 680.00 लाख रु.; और

(च) “जिला और अन्य सड़कें - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना” - 39000.00 लाख रु.।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों/आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष “3451” - “सचिवालय - ग्रामीण विकास विभाग” के अंतर्गत 1241.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को मार्च, 2008 में 64.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1305.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो विनिमय दर में उतार-चढ़ाव आने और किफायती उपाय किए जाने के कारण 28.17 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष “2216” - “ग्रामीण आवास - अन्य व्यय - ग्रामीण भवन केंद्र/अभिनव रूप” के अंतर्गत 271.65 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चालू परियोजनाओं के लिए प्रस्तावों के उपयुक्त संख्या में प्राप्त न होने के कारण हुई।

Provisions under the above five heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of the North Eastern Region and Sikkim.

(e) “Other Rural Development Programme – Other Expenditure” -

(i) “DRDA Administration” – Rs.2120.00 lakhs-due to surrender of funds owing to non-finalisation of schemes.

(ii) “Grants to Council for Advancement of People’s Action and Rural Technology” - Rs.600.00 lakhs;

(iii) “Management Support to Rural Development Programmes and Strengthening district planning process” - Rs.680.00 lakhs; and

(f) “District and Other Roads – Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana” - Rs.39000.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to re-appropriation of funds/part funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of the North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head “3451” - “Secretariat - Department of Rural Development” - the original provision of Rs.1241.00 lakhs was augmented to Rs.1305.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.64.00 lakhs in March, 2008 which, however, remained unutilised to the extent of Rs.28.17 lakhs – due to exchange rate variation and economy measures.

(III) Under Major Head “2216” - “Rural Housing – Other Expenditure – Rural Building Centres/Innovative Stream” – saving of Rs.271.65 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate number of proposals for ongoing projects.

(IV) मुख्य शीर्ष "2501" - "स्वरोजगार कार्यक्रम - स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "प्रशिक्षण, सम्मेलन आदि" - 309.33 लाख रु. की बचत (750.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जाने के संबंध में कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) "विपणन" - 5800.48 लाख रु. की बचत (7800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भूमि का स्वामित्व न लिए जाने की वजह से दिल्ली हाट जैसे परिसर का निर्माण शुरू न किए जाने और सक्षम प्राधिकाारी का अनुमोदन प्राप्त न होने की वजह से राष्ट्रीय ग्रामीण उत्पाद विपणन अभिकरण की स्थापना न किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "2505" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम" -

(क) "मानव संसाधन विकास/प्रशिक्षण" - 600.00 लाख रु. की बचत (5000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशिक्षण कार्यक्रमों शुरू किए जाने संबंधी कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) "कार्यशाला, संगोष्ठियां और सम्मेलन" - 181.27 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यशालाओं के कम संख्या में आयोजित किए जाने के कारण हुई।

(खा) "अन्य कार्यक्रम - संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना - रोकड़ संघटक" - 74092.56 लाख रु. की बचत (234000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "2515" - "अन्य व्यय - ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता और जिला आयोजना

(IV) Under Major Head "2501" - "Self Employment Programme - Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Training, Conferences etc." - saving of Rs.309.33 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.750.00 lakhs) was due to receipt of less proposals for conducting training courses.

(B) "Marketing" - saving of Rs.5800.48 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7800.00 lakhs) was due to non-commencement of construction of Delhi Haat type Complex owing to non-possession of land and non-establishment of National Rural Product Marketing Agency on account of non-receipt of approval of competent authority.

(V) Under Major Head "2505" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Rural Employment Guarantee Scheme - National Rural Employment Guarantee Scheme" -

(a) "Human Resource Development/ Training" - saving of Rs.600.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals for taking up of training activities.

(b) "Workshop, Seminars and Conferences" - saving of Rs.181.27 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to holding of less number of workshops.

(B) "Other Programmes - Sampurna Gramin Rozgar Yojana - Cash Component" - saving of Rs.74092.56 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.234000.00 lakhs) was due to receipt of less viable proposals from State Governments.

(VI) Under Major Head "2515" - "Other Expenditure - Management Support to Rural Development Programmes and strengthening

प्रक्रिया का सुदृढीकरण' के अंतर्गत 519.38 लाख रु. की बचत (6120.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों से व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (303678.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अगस्त, 2007, नवंबर, 2007 और मार्च, 2008 में 118003.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष "2505" -

(क) "ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम - जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/जिला कार्यक्रम समन्वयकों और अन्यो के सहायता" - 157104.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 157104.01 लाख रु. था।

(ख) "अन्य कार्यक्रम - संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना - खाद्यान्न संघटक" - 101654.0 लाख रु.।

(खा) मुख्य शीर्ष "2515" - "अन्य व्यय - जिला ग्रामीण विकास अभिकरण - प्रशासन" - 5920.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 5918.21 लाख रु. था।

(गा) मुख्य शीर्ष "3054" - "जिला और अन्य सड़कें - सड़क निर्माण कार्य - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" - 39000.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 38999.19 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई:-

(का) मुख्य शीर्ष "2216" - "ग्रामीण आवास - अन्य व्यय - इंदिरा आवास योजना/समग्र आवास योजना/ऋण एवं आर्थिक सहायता स्कीम" - 25233.22 लाख रु. का अधिक व्यय (363265.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

District Planning Process" - saving of Rs.519.38 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6120.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from State Institutes of Rural Development.

2.(I) The above savings were partly (Rs.303678.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of Rs.118003.00 lakhs in August, 2007, November, 2007 and March, 2008 - under the following major heads:-

(A) Major Head "2505" -

(a) "Rural Employment Guarantee Scheme - National Rural Employment Guarantee Scheme - Assistance to District Rural Development Agencies/District Programme Co-coordinators and Others" - Rs.157104.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.157104.01 lakhs.

(b) "Other Programme - Sampoorna Gramin Rozgar Yojana - Food Grains Component" - Rs.101654.00 lakhs.

(B) Major Head "2515" - "Other Expenditure - District Rural Development Agencies - Administration" - Rs.5920.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.5918.21 lakhs.

(C) Major Head "3054" - "District and Other Roads - Road Works - Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana" - Rs.39000.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.38999.19 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2216" - "Rural Housing - Other Expenditure - Indira Awaas Yojana/Samagra Awaas Yojana/Credit Cum Subsidy Scheme" - excess of Rs.25233.22 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.363265.00 lakhs);

(खा) मुख्य शीर्ष "2501" - "स्वरोजगार कार्यक्रम - स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना - जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों और अन्यो को सहायता" - 11859.99 लाख रु. का अधिक व्यय (152224.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(गा) मुख्य शीर्ष "2515" - "अन्य व्यय - लोक कार्रवाई और ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नयन परिषद को अनुदान" - 454.00 लाख रु. का अधिक व्यय (5400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोक्त क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 88.44 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत से अधिक था।

(B) Major Head "2501" - "Self Employment Programme - Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana. - Assistance to District Rural Development Agencies and Others"- excess of Rs.11859.99 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.152224.00 lakhs); and

(C) Major Head "2515" - "Other Expenditure - Grants to Council for Advancement of People's Action and Rural Technology" - excess of Rs.454.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5400.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of the North Eastern Region and Sikkim.

(III) Under one head excess of Rs.88.44 lakhs occurred constituting more than 10 percent of the sanctioned provision.